

28/6/2022

अगिलेख उपस्थापित । देनदार द्वारा बकाया राशि कार्यालय के नजारे शाखा में N.R.No.-3409465 दिनांक-24/6/2022 के द्वारा जमा किया गया है।

शाखा प्रबंधक SBI के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि देनदार द्वारा अपनी कुल राशि के 50% राशि जमा करने के पश्चात देनदार से संबंधित नीलाम पत्र वाद लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत निष्पादन किया जाता है।

वर्तमान में देनदार द्वारा 50% राशि जमा कर दिया गया है ।

अतः लोक अदालत में नीलाम पत्र वाद निष्पादन की प्रक्रिया में अगिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित

28/6/22
नीलाम पत्र पदाधिकारी
कार्यालय ।